न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई

प्रकरण संख्या 14/2021
प्रकरण दायर दिनांक 09.03.2021
प्रकरण निर्णय दिनांक 16.09.2022

उनवान

1. केशी देवी पत्नि पोलूराम जाति माली निवासी गुढाकटला तहसील बसवा जिला दौसा

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार तहसील बसवा जिला दौसा राजस्थान लैण्ड होल्डर तहसील बसवा जिला दौसा
2. धनपाल पुत्र गंगल्या
3. बनवारीलाल पुत्र गंगल्या
4. भगवानसहाय पुत्र गंगल्या
5. रामकुंवार पुत्र नारायण

} समस्त जातियान माली निवासीयान गुढाकटला तह. बसवा जिला दौसा

" प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट वास्ते किये जाने दुरूस्ती नक्शा ट्रेस"

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी द्वारा खतौनी संख्या नयी 405 व पुरानी 68 के आराजी खसरा नं. 1925/280 रकबा 0.900 चाही ए कुल खसरा एक कुल रकबा 0.900 हैक्टे0 वाके रामा गुढाकटला तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित है आराजी ख. नं. 1925/280 के पुराना खसरा नं. 226 थे। सेटलमेन्ट अधिकारी/कर्मचारियों ने पुराने नक्शे के मुताबिक नया नक्शा नही बना कर गलती की है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र की ताईद में नकल जमाबंदी ग्राम गुढाकटला संवत् 2073–76 के खाता संख्या 405 व 68, नक्शा ट्रेस संवत् 2045, नक्शा शीट संवत् 2003, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2052–2071 ग्राम गुढाकटला प्रस्तुत किये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस/सम्मन से की गई। अप्रार्थीगण में रिपोर्ट पटवारी/आईएलआर गुढाकटला प्राप्त की गई। अप्रार्थी 2 लगा. 05 बावजूद सम्मन असालतन तामिल उपस्थित नहीं आये न ही उनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित आया। कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई गई। भू. अ.नि. गुढाकटला द्वारा मौका पर्चा रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार ग्राम गुढाकटला के विवादित आराजी ख.नं. 280 रकबा 0.23 हैक्टे. चाही 1 राजस्व रिकॉर्ड में अशोक कुमार पुत्र मूलचंद हिस्सा 2/25 केशी देवी पत्नि पोलूराम हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

775 / 1173 जाति माली , गुलाब देवी पत्नि मदनलाल महावर हिस्सा 1697 / 10350 जाति कोली, गोरधन पुत्र लल्लूराम हिस्सा 7 / 1242 जाति माली, देवकी देवी पत्नि बाबूलाल महाजन हिस्सा 4 / 51, रामवतार पुत्र रामजीलाल शर्मा निवासी मुही हिस्सा 7 / 1242, रामेश्वर पुत्र छोटेलाल जाति माली हिस्सा 7 / 1242 निवासी गुढाकटला के नाम राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी दर्ज संवत् 2073–76 है। जिसका डिक्री अनुसार खाते का विभाजन किया गया, जिसमें ख. नं. 1925 / 280 रकबा 0.09 हैक्टे. चाही ए राजस्व रिकॉर्ड मे केशी देवी पत्नि पोलूराम जाति माली हिस्सा 775 / 1173 के नाम संवत् 2073–76 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है। उक्त खसरे का मौका देखने पर मौके पर मौके अनुसार उक्त ख.नं. 1925 / 280 रकबा 0.09 हैक्टे. के दक्षिण भुजा के लगता हुआ ख.नं. 281 है जिसका रकबा 0.05 हैक्टे. जाव ए राजस्व रिकॉर्ड धनपाल, बनवारी, भगवानसहाय, पुत्रान गंगल्या जाति माली हिस्सा 1/2 रामकुवांर पुत्र नारायण जाति माली हिस्सा 1/2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है भू प्रबंधक विभाग द्वारा ख.नं. 281 को 0.05 से बढाकर नक्शे में 0.08 हैक्टे. कर दिया गया है। ख.नं. 281 का पुराना ख.नं. 223 रकबा 4 बिस्वा है।

हमने प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र संलग्न दस्तावेजात नकल जमाबंदी संवत् 2073–2076 ग्राम गुढाकटला के खाता संख्या नया 405 पुराना 68 नक्शा ट्रेस संवत् 2045, नक्शा शीट संवत् 2003, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2052–2071 ग्राम गुढाकटला का अवलोकन किया + प्रार्थी वकील को सुना । रिपोर्ट पटवारी/आईएलआर गुढाकटला दिनांक 10.06.2022 के अनुसार भूमि खसरा नं. 1925 / 280 रकबा 0.09 हैक्टे. चाही ए राजस्व रिकॉर्ड में केशी देवी पत्नि पोलूराम जाति माली हिस्सा 775 / 1173 के नाम संवत् 2073–2076 राजस्व रिकॉर्ड में खतेदारी दर्ज है उक्त खसरा नं. मौके पर दक्षिण भुजा से लगता हुआ खसरा नं. 281 रकबा 0.05 हैक्टे. जाव ए राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण दर्ज है भू प्रबंधक विभाग द्वारा खसरा नं. 281 रकबा 0.05 हैक्टे.को बढाकर नक्शे में 0.08 कर दिया है खसरा नं. 281 का पुराना खसरा नं. 223 रकबा 4 बिस्वा है। इस तरह खसरा नं. 281 के नक्शे को 0.08 से घटाकर एवं खसरा नं. 1925 / 280 रकबा 0.09 हैक्टे. के नक्शे को बढाकर दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट बाबत ग्राम गुढाकटला के खतौनी संख्या नयी 405 व पुरानी 68 के आराजी खसरा नं. 1925 / 280 रकबा 0.09 के दक्षिणी ओर पुराने नक्शें के आराजी खसरा नं. 226 के अनुरूप एवं खसरा नं. 281 रकबा 0.05 हैक्टे. को पुराना खसरा नं. 223 के अनुरूप किया जावे। तहसीलदार बसवा नक्शा दुरूस्ती तदनानुसार करे। तहसीलदार बसवा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(नीरज कुमार मीणा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई